



कुलाधिपति
Chancellor

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,

University,

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.47(2)आरबी/2025/5793

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता॥—

(हरिभाऊ बागडे)

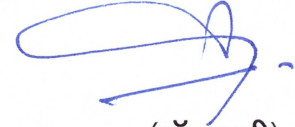
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.47(2)आरबी/2025/ 5794

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, 503, अमृत कलश, अपनाघर शालिमार् एक्सटेंशन, गेट नं. 3, अलवर-तिजारा रोड, अलवर-301001
5. कुलगुरु, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान